

(भारत के राजपत्र के भाग -I, खण्ड - II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/42/2011-अ.भा.से.(I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 09 मई, 2012

**अधिसूचना**

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मणिपुर व त्रिपुरा सरकारों तथा गृह मंत्रालय की सहमति से केन्द्र सरकार, सुश्री सौम्या गुप्ता, भा.प्र.से. (मणिपुर-त्रिपुरा :04) की मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग (दिल्ली खंड) में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति हेतु उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती हैं।

  
( एस. एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)